न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 91/2016/अपील

मदनलाल दत्तक पुत्र मोहनलाल जाति बजाज महाजन निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल निवासी शाहपुर जिला ठाणे महाराष्ट्र

अपीलान्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत खूड़ी बड़ी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये सरपंच
2 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 08.08.1961 वाके ग्राम खुड़ी बड़ी द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलांट श्री राजेन्द्र कुमार मातवा

निर्णय **दिनांकः—23.01.2019**

अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि स्व. जोधराज के एकमात्र पुत्र मोहनलाल पैदा हुआ था और मोहनलाल लाऔलाद ही फौत हो गया था। मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात् मोहनलाल की पत्नि कमला बाई ने मदनलाल को गोद ले लिया, जिसका गोदनामा भी 30 रूपये के किममी स्टाम्प पर दिनांक 31.05.1945 को तहरीर व तकमील करवाकर पूर्ण होश हवास में सक्षम साक्षियों के समक्ष गोद ले लिया। तब से अपीलांट गोद ही चला आ रहा है और अपने सभी दस्तावेजों में अपने पिता का नाम मोहनलाल ही है। नगरपालिका मण्डल लक्ष्मणगढ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी अपीलांट ही मोहनलाल का एकमात्र वारिस है और नामांतरकरण संख्या 122 में ग्राम पंचायत ने भी अपीलांट को ही मोहनलाल का वारिस मानकर नामांतकरण तस्दीक किया, लेकिन तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 08.06.1961 को यह नोट अंकित किया कि रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं होने से पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकण गलत है इसका रिकार्ड में आमद नहीं किया जावें। तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 08.08.1961 को ग्राम पंचायत खूड़ी बड़ी द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 122 के आमद को रोकने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। उक्त आदेश विधि प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन गोदनामा रिजस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। अपीलांट का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :—

जोधराज (फौत)
↓
मोहनलाल (फौत)
↓
कमला बाई (पत्नि) (फौत)
↓
मदनलाल (अपीलांट)

इस प्रकार नामांतरकरण में वर्णित कुर्सीनामा अपीलांट के सजरा खानदान से सही मेल खाता और मोहनलाल की अपीलांट के अलावा अन्य कोई वारिस न तो पूर्व में था तथा

Web Copy - Not Official

सीकर पर अपीलांट ही काबिज रहकर उपयोग उपभोग में ले रहा है। इस भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना–देना नहीं है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा यह कह कर आमद रोकना कि गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं है हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि गोद के सम्बंध में किसी भी प्रकार का विवाद सुनने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायाधीश को ही है। इयलिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ का आदेश अवैध शून्य एवं विधि प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा नामान्तकरण संख्या 122 वाके ग्राम खुड़ी बड़ी की आमद रोकने का आदेश दिनांक 08.08.1961 को निरस्त फरमाया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 122 की पालना में प्रार्थी/अपीलांट का नाम मोहनलाल की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली में अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से खातेदार जोधराज फौत होने पर मदनलाल के नाम से नामान्तकरण दिनांक 27.07.1961 को भरा गया एवं दिनांक 28.07.1961 को जांच की गई तथा दिनांक 30.07.1961 को ग्राम पचांयत खूड़ी बड़ी द्वारा तस्दीक किया गया। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 08.08.1961 को गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं होने से नामान्तकरण के अमल को रोक दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली में गोदनामा की प्रति एवं ग्राम खुड़ी बड़ी के खसरा नम्बर 351, 352, 354 ता 356 कुल किता 5 कुल रकबा 1.39 है0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की प्रति उपलब्ध है। उक्त गोदनामा दिनांक 31.05.1945 का है। जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में उपरोक्त आराजियात की खातेदारी मोहनलाल पुत्र जोधराज जाति महाजन सा. लक्ष्मणगढ़ के नाम से दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड में मोहनलाल पुत्र जोधराज जाति महाजन सा. लक्ष्मणगढ़ के नाम से खातेदारी दर्ज है। अपीलाधीन नामान्तकरण में खातेदार जोधराज फौत होने पर मदनलाल पुत्र मोहनलाल के नाम से नामान्तकरण भरा गया है। पूर्व खातेदार जोधराज फौत होने पर उक्त खातेदारी मोहनलाल के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के सम्बंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं खसरा परिवर्तन के सम्बंध में मिलान क्षेत्रफल तक पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त दस्तावेजात के अभाव में प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियां निःसंदेह संदेहात्मक प्रतीत होती है। साथ ही नामान्तकरण सन् 1961 में स्वीकृत है, जिसके विरूद्व अपील 55 वर्ष बाद इस न्यायालय में की गई है। नामान्तकरण संख्या 122 के अनुसार जोधराज की जगह मदनलाल का नाम अन्तरित किया गया है जिसका अमल नहीं होना अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है, जबकि राजस्व रिकार्ड में यह आराजी आदिनांक जोधराज की बजाय मोहनलाल के नाम पर दर्ज है। इन तथ्यों को कहीं भी रिकार्ड पर प्रकट नहीं किया गया है। 55 वर्ष बाद एवं अपूर्ण तथ्यों के आधार पर इस अपील में खातेदारी के सम्बंध में निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस तरह के प्रकरणों में विस्तृत व्याख्या व साक्ष्यों के आधार पर दावें में ही निष्कर्ष तक पहुंचना संभव है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है। पक्षकारान अपने हित अधिकारों हेतु सक्षम न्यायालय में वाद/अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/19.

(जय प्रकाश)

Web Copy - Not Official